राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांक : एफ 16–1(ब)न्याय/2020/24013 दिनांकः– 31/जुलाई, 2020

:: आदेश ::

दिनांक 01.08.2020 को ईदुलजुहा, दिनांक 03.08.2020 को रक्षाबंधन, दिनांक 05.08.2020 को आयोध्या में राम मन्दिर निर्माण प्रारम्भ तिथी एवं दिनांक 12.08.2020 को जन्माष्टमी है। इन अवसरों पर काफी संख्या में जनसमुह एकत्रित होने की संभावना रहती हैं।

अतः इस संबंध में उक्तानुसार इन अवसरों पर भीलवाडा शहर में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण फैलने की सम्भावनाओं के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ–साथ कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु निम्नानुसार कार्यपालक मजिस्ट्रेट की डयूटी उनके सामने अंकित क्षेत्र हेतु तत्काल प्रभाव से लगाई जाती हैं :–

क्र.सं.	नियुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पद	आवंटित ड्युटी स्थल	मोबाईल न0
1	**सुश्री रिया केजरीवाल,** उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा शहर एवं सम्पूर्ण उपखण्ड़ क्षेत्र	95991–59658
2	श्री अजीत सिंह, **तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा**	थाना क्षेत्र भीमगंज	94602–01047
3	श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवाड़ी **तहसीलदार, निर्वाचन**	थाना क्षेत्र प्रताप नगर	94134–02916
4	श्री अरूण सिंह, **नायब तहसीलदार, भीलवाड़ा**	थाना क्षेत्र सिटी कोतवाली	98998–68830
5	श्री शैतान सिंह, **नायब तहसीलदार, कारोई**	थाना क्षेत्र सुभाष नगर	94140–49958

उक्तानुसार नियुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट यथासमय पूर्व ड्युटी स्थल पर पहुंच कर पुलिस अधिकारियों के साथ आवश्यक समन्चय स्थापित करते हुये उन्हें आवंटित सम्पूर्ण क्षेत्र का जायजा लेगें, नागरिकों से Wearing of Mask & Social Distancing की पालना सुनिश्चित करवाने के साथ–साथ संबंधित क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति पर पूर्ण निगरानी रखेगें, सतर्कता बरतेगें एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेगें साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान–जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 33(2) गृह–9/2019 पार्ट दिनांक 24.06.2020 में वर्णित निर्देशों " **जिले में सार्वजनिक मार्गो एवं स्थानों पर बारात का प्रोसेशन, डी.जे. बजाने एवं सार्वजनिक सभा, जुलूस/समारोह/धरना/प्रदर्शन का आयोजन प्रतिबन्धित रहेगा** " की अक्षरसः पालना सुनिश्चित करवायेगें।

उक्तानुसार नियुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट उक्त किसी भी महत्त्वपूर्ण घटना अथवा संबंधित क्षेत्र की स्थिति की सूचना **अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन/शहर), भीलवाड़ा** को देना सुनिश्चित करेंगें।

.... 2

Scanned with CamScanner

इसके अतिरिक्त **जिले के अन्य उपखण्ड/तहसील क्षेत्रों में** संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं संबंधित तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी अपने–अपने क्षेत्रों में नागरिकों से Wearing of Mask & Social Distancing की पालना सुनिश्चित करवाने के साथ–साथ कानून व्यवस्था की स्थिति पर पूर्ण निगरानी रखेगें, सतर्कता बरतेगें एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेगें।

उक्त प्रयोजनार्थ कानून व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने हेतु **अति0 जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा,** भीलवाड़ा शहर के लिए तथा **अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा,** भीलवाड़ा शहर सहित सम्पूर्ण जिले के लिए प्रभारी मजिस्ट्रेट होगें।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित हो:–

1. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को उक्तानुसार नियुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट के साथ उनके समकक्ष स्तर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मय पर्याप्त पुलिस जाब्ता लगाने एवं पुलिस अधिकारियों को नियुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट के साथ आवश्यक समन्वय/सम्पर्क स्थापित करने हेतु निर्देश जारी करते हुये कानून एवं शांति व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने एवं गृह विभाग द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक 24.06.2020 में प्रदत्त निर्देशानुसार समुचित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
2. अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन/शहर), भीलवाड़ा
3. प्रभारी अधिकारी, पुल अनुभाग, का0हा0 को वाहन व्यवस्था के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार, जिला–भीलवाड़ा
5. सर्व संबधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ...
6. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा/आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा को उक्त प्रयोजनार्थ **पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर अपने–अपने क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार फायर ब्रिगेड की व्यवस्था, आवश्यकतानुसार ड्रोन कैमरे, विडियों/फोटोग्राफर की व्यवस्था, बेरिकेडिंग आदि की** व्यवस्था बाबत् आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भीलवाड़ा को उक्त प्रयोजनार्थ पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर ''ए'' श्रेणी चिकित्सा दल मय सुविधायुक्त एम्बुलेन्स व्यवस्था बाबत् आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाड़ा
9. निजी सहायक, जिला कलक्टर

जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner